न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 13/163

सीताराम पुत्र जगन्नाथ जाति मीना निवासी छत्रपुरा पोस्ट अयाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।

——अपीलान्ट

बनाम

शेभाग मल पुत्र गोबरी लाल जाति मीणा निवासी छत्रपुरा पोस्ट अयाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :— 1. श्री मेघराज सिंह शक्तावत, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रमाकान्त लोहिया, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 17.04.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, इटावा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.06.2013 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं प्रार्थी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम छत्रपुरा में आराजी खसरा नम्बर 338 रकबा 0.46 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि का प्रार्थी एकमात्र खातेदार है । उक्त भूमि में से 0.10 हैक्टर भूमि में स्कूल बना है । उक्त भूमि पर अप्रार्थी जबरन ताकत के बल पर कब्जा कर पक्का निर्माण करने पर आमादा हैं जिसका उन्हें कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है । यदि दौराने वाद उक्त भूमि पर अप्रार्थी ने जबरन ताकत के बल पर कब्जा कर लिया तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं होगी ।

3. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह उक्त भूमि के किसी भी हिस्से पर निर्माण कार्य नहीं करे और न ही प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 13.06.2013 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.06.2013 से व्यथित होकर प्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट के खातेदारी की भूमि है । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय में गलत रूप से विवेचना करते हुए रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत काउन्टर प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में त्रुटि की है । प्रार्थी अपीलान्ट का प्रथमदृष्टया प्रकरण उसके पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति होने की संभावना ही अपीलान्ट के पक्ष में है क्योंकि अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी का खातेदार है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.06.2013 निरस्त फरमाया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में अपना प्रार्थना पत्र किसी साक्ष्य दस्तावेज से साबित नहीं किया है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.06.2013 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया । प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी अपीलान्ट ने अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तत किया था जिसमें अधीनस्थ न्यायालय में अन्तर्गत धारा 188 का भी निर्णय पारित कर दिया जो विधि के प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय को अस्थायी निषेधाज्ञा के आधार पर प्रस्तुत प्रकरण का निस्तारण किया जाना चाहिए था । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.06.2013 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह प्रकरण में केवल अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 30.05.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

11. निर्णय आज दिनांक 17.04.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा